रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 1, 1972/ज्येष्ठ 11, 1894
No. 121] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 1972/JYAISTHA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st June 1972

No. 83/1/1/72-CF.—1. The Government of India attaches the highest importance to the exploration of outer space and the development of Space. Science and Technology and their Applications. Technological advances in the field are based on developments along advancing frontiers of many areas of science and technology. These developments produce rapid obsolescence not only of tools and equipment but also of established systems of organisation. The sophistication of this technology, the newness of the field, the strategic nature of its development and the many areas in which it has applications have to be borne in mind in devising a suitable organisational framework to handle this area on behalf of Government.

2. In order to promote a rapid development of activities connected with the Space Science, Space Technology and Space Applications, the Government of India consider it necessary to set up an organisation, free from all non-essential restrictions or needlessly inelastic rules, which will have responsibility in the entire field of the Science and Technology of Outer Space and their Applications.

3. After careful consideration, the Government of India have decided to establish a Space Commission with full executive and financial powers modelled on the lines of the Atomic Energy Commission.

4. *Constitution of the Commission.*—(a) The Commission shall consist of full-time and part-time members. The total number of members shall be not less than four nor more than seven.

(b) The Secretary to the Government of India in the Department of Space will be the *ex-officio* Chairman of the Commission.

(c) A member of the Commission shall be the Member for Finance, who shall also be *ex-officio* Secretary to the Government of India in the Department of Space in financial matters.

5. *Functions.*—The Space Commission shall be responsible :—

(a) for formulating the policy of the Department of Space for the consideration and approval of the Prime Minister;

(b) for preparing the budget of the Department of Space for each financial year and getting it approved by Government; and

(c) for the implementation of Government's policy in all matters concerning outer Space.

6. Within the limits of the budget provision, approved by Parliament, the Commission shall have the powers of the Government of India, both administrative and financial for carrying out the work of the Department of Space.

7. *Chairman.*—(a) The Chairman, in his capacity as Secretary to the Government of India in the Department of Space, shall be responsible under the Prime Minister for arriving at decisions on technical questions and advising Government on matters of Space policy. All recommendations of the Commission on policy and allied matters shall be put up to the Prime Minister through the Chairman.

(b) The Chairman shall have the power to overrule the other members of the Commission, except that the Member for Finance shall have the right to ask that any financial matter, in which he does not agree with the Chairman, be referred to the Prime Minister and the Finance Minister.

(c) The Chairman may authorise any member of the Commission to exercise on his behalf, subject to such general or special orders as he may issue from time to time, such of his powers and responsibilities as he may decide.

8. *Member for Finance.*—The Member for Finance shall exercise the powers of the Government of India in financial mattrs concerning the Department of Space except in so far as such powers have been, or may in future be, conferred on or delegated to the Department.

9. The Commission shall have power to frame its own rules of procedures. The Commission shall meet at such times and places as may be fixed by the Chairman.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India and all the State Governments/Union Territories.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. S. MONGIA,
Jt. Secy. to the Cabinet.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(मंत्रिमण्डल कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जून, 1972

संख्या, 83 1/1/72–सी० एफ०.—1. भारत सरकार बाह्य अन्तरिक्ष की खोज तथा अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उनके प्रयोग को अत्याधिक महत्व देती है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिक प्रगति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में होने वाले विकास पर निर्भर है। यह विकास न केवल औजारों और उपकरणों को बल्कि संगठन की सुस्थापित प्रणालियों को भी शीघ्र ही अप्रचलित कर देता है। सरकार की ओर से इस क्षेत्र में कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक ढांचा तैयार करते समय इस प्रौद्योगिकी की बारीकी, क्षेत्र के नयेपन, इसके विकास के सामरिक कोटि के होने तथा उन अनेक क्षेत्रों को जिनमें इसका उपयोग है, ध्यान में रखना होगा।

2. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रयोग से सम्बन्धित कार्यों के विकास को तीव्र गति देने के लिये भारत सरकार अनावश्यक प्रतिबन्धों अथवा अनावश्यक रूप से अपरिवर्तनशील नियमों से मुक्त एक ऐसा संगठन स्थापित करना आवश्यक समझती है जो बाह्य अंतरिक्ष के विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उसके प्रयोग के सम्पूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तरदायी हो।

3. भारत सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, परमाणु ऊर्जा आयोग की भांति, पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों सहित एक अंतरिक्ष आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है।

4. **आयोग का गठन.**—(क) आयोग में पूर्णकालिक और अशंकालिक दोनों प्रकार के सदस्य होंगे। सदस्यों की कुल संख्या न तो चार से कम और न ही सात से अधिक होगी।

(ख) अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार का सचिव, आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा।

(ग) आयोग का एक सदस्य, वित्त-सदस्य होगा, जो अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार की वित्तीय मामलों से सम्बन्धित पदेन सचिव भी होगा।

कार्य.—अंतरिक्ष आयोग निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा :—

(क) प्रधान मंत्री के विचारार्थ तथ अनुमोदन के लिए अंतरिम विभाग की निति तैयार करना;

(ख) अंतरिम विभाग के लिए प्रति वित्तीय वर्ष बजट तैयार करना तथा उसे सरकार से मंजूर कराना ; और

(ग) बाह्य अंतरिक्ष से सम्बन्धित सभी मामलों में सरकार की निति को कार्यन्वित करना।

6. संसद द्वारा स्वीकृत बजट-व्यवस्था की सीमाओं के भीतर, अंतरिक्ष विभाग का कार्य चलाने के आयोग को भारत सरकार की प्रशासनिक तथा वित्तीय दोनों ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

7. **अध्यक्ष.**—(क) अध्यक्ष अन्तरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव की हैसियत से, प्रधान मंत्री के अधीन, तकनीकी सवालों पर निर्णय लेने तथा अंतरिक्ष नीति से सम्बन्धित मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी होगा। आयोग की नीति और तत्सम्बन्धी सभी सिफारिशें अध्यक्ष के माध्यम से प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी ।

(ख) अध्यक्ष को अन्य सदस्यों की बातों को नामंजूर करने का अधिकार होगा । केवल वित्त-सदस्य को यह कहने का अधिकार होगा कि जिस वित्तीय मामले में वह अध्यक्ष से सहमत नहीं है, वह मामला प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को भेजा जाय ।

(ग) अध्यक्ष, समय-समय पर उसके द्वारा जारी किए जाने वाले सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन, आयोग के किसी भी सदस्य को अपनी ओर से अपनी उन शक्तियों और उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में प्राधिकृत कर सकता है, जो वह चाहे ।

8. **वित्त सदस्य.**—वित्त सदस्य, अंतरिक्ष विभाग से सम्बन्धित वित्तीय मामलों में भारत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा, केवल उन शक्तियों को छोड़कर जो उस विभाग को सौंप दी गई है अथवा प्रत्यायोजित कर दी गयी है या भविष्य में की जायेंगी ।

9. आयोग को अपनी कार्यविधि नियमावली बनाने का अधिकार होगा । आयोग की बैठकें अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्रों को भेजी जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

जगजीत सिंह मोंगिया, संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972.